न्यायालय अपर सत्र न्यायाद्यीश, द्वितीय, बेनीपुर,दरभंगा

जमानत आवेदन संख्या–01/2018

परमानन्द यादव.....आवेदक बनाम बिहार सरकार..विपक्षी

11.01.2018. **आ दे श**

आवेदक/अभियुक्त परमानन्द यादव के तरफ से दिनांक 03.04.2018 को जमानत आवेदन दाखिल किया गया। विद्वान अधिवक्ता आवेदक श्री स्वतंत्र कुमार मिश्रा, सूचिका के विज्ञ अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण झा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री चक्रपाणी चौधरी को आज सुना।

2. विद्वान अधिवक्ता आवेदक का तर्क था कि आवेदक निर्दोष हैं, उसके द्वारा कोई जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में न लंबित है अथवा न हीं पूर्व में अस्वीकृत हुआ है। सूचिका शोभा यादव के आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या–438/2017 धारा–323, 341, 324, 114, 354, 379, 504 एवं 326 भादवि के अन्तर्गत यह कांड अंकित किया गया। सूचिका के अनुसार मैं दिनांक 19.11.17 को अपने मायके आई थी कि दिनांक 22.11.17 को समय करीब 3.30 बजे दिन में रामपुर उदय मौजा स्थित जमीन का ट्रैक्टर से जुताई का कार्य हो रहा था। उसी कम में गलती से थोड़ा से खेत का आर हमारे दादा जगदीश यादव का कट गया, इतने में जगदीश यादव और हमारे पिता श्री उपेन्द्र यादव को गालीगलौज करते कहा कि आर क्यों काट दिये हो, तब हमारे पिताजी ने कहा कि चालक के गलती से आड़ कट गया है। अभी हम आड ठीक करवा देते है। फिर भी जगदीश यादव नहीं माने और अपने लड़के परमानन्द यादव, पत्नी विमला देवी, लडकी सुशीला कुमारी को आवाज देकर बुलाया। ये सभी लोग हरबे हथियार लाठी, डंडा, लोहा का रड व कुदाल लेकर आया, इतने में जगदीश यादव उन सबों को बोला आज इन लोगों को मारकर खत्म कर दो, इतने में परमानन्द कुदाल हमारे सर पर जान मारने के नियत से चलाया तो कुदाल मेरे बॉये तरफ गाल पर लगा, इसके बाद कुदाल से मेरे पिताजी को पटक कर पीठ पर कुदाल से जख्मी कर दिया, जिससे मेरे पिताजी उसी स्थान पर बेहोश होकर गिर गया। जब पिताजी को बचाने के लिए मैं और मेरी बहन सुचीता कुमारी गई तो जगदीश यादव ने अपने बेटे परमानन्द के हाथ से कुदाल लेकर हमें व हमारी बहन के उपर चलाया, जिससे मेरा दो अंगुली दॉये हाथ का कट गया। मेरे शरीर व हाथ व कंधा पर कुदाल से वार किया, जिससे कुदाल से कट गया है। जगदीश यादव की पत्नी विमला देवी ने लोहे के राड से मेरी बहन सुचीता कुमारी को सिर पर मारा, जिससे वह बेहाश होकर गिर गई। इसी कम में सुशीला कुमारी ने हमारे गले से सोना का चैन भर कीमत छीन लिये। उसके बाद परमानन्द यादव ने हमारी छोटी बहन सुचीता कुमारी को बुरा नियत से चेहरा व शरीर के अन्य हिस्से में दॉत काट लिया। इतने में हमारे दादा नथुनी यादव व चाचा रवीन्द्र यादव आये, तब हमलोगों का जान बचाये और झगडा को छुडायें। जख्मी

न्यायालय अपर सत्र न्यायाद्यीश, द्वितीय, बेनीपुर,दरभंगा
जमानत आवेदन संख्या–01/2018

लगातार

11.01.2018–हालत में नथुनी यादव व रवीन्द्र यादव हमलोगों को बहेड़ा अस्पताल ईलाज हेतु ले गया, किन्तु नाजुक स्थिति को देख करके वहाँ से रेफर डीएमसीएच दरभंगा हो गया, किन्तु वहाँ से रेफर तुरन्त पीएमसीएच पटना हो गया, जहाँ मैं अभी इलाजरत हूँ। उसके बाद उसके द्वारा दिये गये फर्दब्यान के आधार पर यह कांड अंकित किया गया।

3. बचावपक्ष के के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को दुश्नीवश इस केस में गलत ढंग से फंसा दिया गया है। धारा– 354, 379 एवं 326 भादवि को छोड़कर अन्य धाराएँ जमानतीय है। धारा– 354 भादवि का कोई केस नहीं बनता है। अतः आवेदक को नियमित जमानत का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचिका के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क था कि आवेदक पर गंभीर आरोप है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। उनका जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाए।

5 दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर कुदाल से सूचक के सर पर जान मारने के नियत से चलाया तो कुदाल उसके बॉये तरफ गाल पर लगा, इसके बाद कुदाल से सूचक के पिताजी को पटक कर पीठ पर कुदाल से जख्मी कर दिया। परमानन्द यादव ने सुचीता कुमारी को बुरा नियत से चेहरा व शरीर के अन्य हिस्से में दॉत काट लिया। परन्तु चिकित्सक ने अपने जख्म प्रतिवेदन में ऐसा कोई जख्म नहीं पाया है, जो गंभीर प्रकृति का हो। चिकित्सक ने जख्म को साधारण एवं भोथरे एवं हथियार से कारित पाया है। अतः उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त परमानन्द यादव को नियमित जमानत का लाभ देना उचित एवं न्यायसंगत है। इन परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त परमानन्द यादव को सात हजार रूपया के दो प्रतिभूओं के बंधपत्र दाखिल करने पर, इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार और दूसरा जमानतदार जनप्रतिनिधि/सरकारी सेवक हो, जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय मुक्ति आदेश निर्गत करें।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

(विष्णुदेव उपाध्याय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,द्वितीय
बेनीपुर।

Seen memo No-59 dt-16-1-18 Copy of order issued.